

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व शिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा । तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल श्रेणी केवल आवासीय तृतीय वर्ग

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 910 दिनांक 10/03/2021

आर्षी हड़मान राम सैन 310 ली

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 24391/- जमा की है

जारीये रसीद संख्या 9069/5799-5793

दिनांक 10/03/2021 को जमा करा दी है ।

माणक चन्द्र सैन

P.No: 195 पुरानी भवन

12/3/2021

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

(Signature)
12/3/21
9413247650

जी+1
आवासीय